



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 23-04-2024

विषय:- कमिश्नरेट वाराणसी में माननीय गृहमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार के आगमन कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित मार्गों व स्थलों का निरीक्षण कर, अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की गयी।

आज दिनांक 23-04-2024 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा दिनांक 24.04.2024 एवं 25.04.2024 को कमिश्नरेट वाराणसी में माननीय गृहमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार के प्रस्तावित आगमन/भ्रमण/अवस्थान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सम्भावित स्थलों/मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त कैम्प कार्यालय स्थित सभागार में कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस अधिकारियों एवं बाह्य जनपद से आये पुलिस अधिकारीगणों को ब्रीफ किया गया। उक्त ब्रीफिंग में संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध श्री के. एजिलरसन, अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री एस. चन्नप्पा सहित समस्त पुलिस उपायुक्त, समस्त अपर पुलिस उपायुक्त व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

ब्रीफिंग के दौरान मा० महानुभाव के सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये।

1. पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ प्रस्तावित स्थलों/मार्गों का निरीक्षण किया गया।

2. निर्देशित किया कि मा0 महानुभावों के मूवमेंट के दौरान आमजनता को कोई दिक्कत न हो। किसी तरह का कोई यातायात बाधित न हो।
3. भीड़ नियंत्रण के लिए मा0 महानुभावों के मार्ग की गलियों में पुलिसकर्मी रस्से का उपयोग करेंगे।
4. मा0 महानुभावों के भ्रमण मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा उनकी रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाए।
5. ड्यूटी पर नियुक्त पुलिसकर्मी मोबाइल फोन का तभी प्रयोग करें जब अतिआवश्यक हो। मोबाइल चैटिंग व अन्य गतिविधि नहीं करेंगे।
6. संवेदनशील स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटी लगायी जाए।
7. मा0 महानुभावों के मार्ग पर पड़ने वाले गुमटी, पुलियाँ, ट्रासफार्मर, पेट्रोलपम्प आदि को समय से चेक करा लिया जाए।
8. महत्वपूर्ण स्थानों पर समुचित बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाए।
9. ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मचारीगणों को मौके पर राजपत्रित अधिकारी द्वारा ब्रीफ किया जाए।
10. मार्ग व्यवस्था में नियुक्त थाना प्रभारी/अधिकारीगण अपने-अपने वाहनों में लाउड हेल्म व पी.ए. सिस्टम की व्यवस्था रखेंगे।
11. आवारा पशुओं को मा0 महानुभावों के मार्ग पर नहीं आने दिया जाए।
12. मा0 महानुभावों के कार्यक्रम/मार्ग पर ड्रोन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
13. भीड़ नियंत्रण हेतु अतिरिक्त पुलिस बल रस्सों के साथ रिजर्व में रखा जाए।
14. आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन हो।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।**